



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-675-अरा-09(ब)/पाकालि/ 2019-20-एनजी-09ब/12

दिनांक : 22 अगस्त, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
पोस्ट-डी०एल०डब्ल्यू०, मिखारीपुर
वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
4-ए गोखले मार्ग, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
220 के०वी० सबस्टेशन, बाइपास रोड,
आगरा।

प्रबन्ध निदेशक (केस्को)
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०,
केसा हाउस, 14/71, सिविल लाइन्स,
कानपुर।

विषय:- "तकनीशियन" से लिपिकीय कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में।

यह संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न कार्यालयों में अधिष्ठान एवं राजस्व से सम्बन्धित कार्यों को "तकनीशियन" के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है, जबकि इन कार्मिकों के मूल कर्तव्य एवं दायित्व उपकेन्द्रों का परिचालन, लाइनों का अनुरक्षण एवं मीटर आदि की टेस्टिंग किया जाना निर्धारित है। इस प्रकार के कार्य आवंटन से जहाँ एक तरफ उपकेन्द्रों के परिचालन, लाइनों के अनुरक्षण एवं अन्य तकनीकी कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ लिपिकीय कार्यों हेतु चयनित "कार्यकारी सहायक" अपने मूल कर्तव्यों एवं दायित्वों से वंचित हैं। किसी भी कार्मिक से उसके मूल कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुरूप कार्य न लेना अनुचित एवं नियमों के विरुद्ध भी है।

अतः कारपोरेशन कार्यक्षेत्र में यह निदेशित किया जाता है कि ऐसे समस्त "तकनीशियन", जो लिपिकीय कार्य में लगाये गये हैं उनकी तैनाती तकनीकी कार्यों हेतु सुनिश्चित की जाये एवं नवचयनित "कार्यकारी सहायकों" को लिपिकीय कार्य आवंटित किया जाये।

(अपर्णा यू)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:-675-अरा-09(ब)/पाकालि/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव सम्बद्ध निदेशक(का० प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता(वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर "orders" एवं "Right to information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (अराजपत्रित)